रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 339] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 25, 2019/माघ 5, 1940
No. 339] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 25, 2019/MAGHA 5, 1940

IndiaCode

## कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

**(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)**

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2019

**का.आ. 450(अ).**—केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित व्यक्ति को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट करती है और उस प्रयोजन के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित तत्कालीन खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 301, तारीख 27 फरवरी, 1971 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में मद संख्या (xix) (क) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(xix) (क) डा. एस. के. खुराना, परामर्शदाता (रोग विज्ञान)

वनस्पति सरंक्षण, संगरोध एंव संग्रह निदेशालय

एन. एच. IV, फरीदाबाद।"

[फा. सं.13028/03/2015-पीपी-I]

अतीश चन्द्रा, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :** मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 301, तारीख 27 फरवरी, 1971 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन का.आ. 6148(अ), तारीख 13 दिसम्बर, 2018 को किया गया था।

## MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

### (Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2019

**S.O. 450(E).—**In exercise of the powers conferred by section 4 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby nominate the following person to be a member of the Central Insecticides Board for a period of three years from the date of publication of this notification and for that purpose makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), number G.S.R. 301, dated the 27th February, 1971, namely:—

In the said notification, for item (xix)(a) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:—

"(xix)(a) Dr. S. K. Khurana, Consultant (Pathology), Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, NH-IV, Faridabad".

[F. No. 13028/03/2015-PP-I ]

ATISH CHANDRA, Jt. Secy.

**Note :** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 301, dated the 27th February, 1971 and last amended *vide* number S.O. 6148 (E), dated the 13th December, 2018.

IndiaCode

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2019

**का.आ. 451(अ).—**केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित व्यक्ति को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए रजिस्ट्रीकरण समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट करती है और उस प्रयोजन के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित तत्कालीन कृषि मंत्रालय के कृषि और सहकारिता विभाग, भारत सरकार की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 79, तारीख 4 फरवरी, 1997 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में मद संख्या (5) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(5) डा. एस. के. खुराना, परामर्शदाता (रोग विज्ञान)

वनस्पति सरंक्षण, संगरोध एंव संग्रह निदेशालय

एन. एच. IV, फरीदाबाद।"

[फा. सं. 13028/03/2015-पीपी-I]

अतीश चन्द्रा, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :** मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 79, तारीख 4 फरवरी, 1997 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन का. आ. 2799 (अ), तारीख 28 अगस्त, 2017 को किया गया था।

## NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2019

**S.O. 451(E).—** In exercise of the powers conferred by section 5 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby nominate the following person to be a member of the Registration Committee for a period of three years from the date of publication of this notification and for that purpose makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), number S.O. 79(E), dated the 4th February, 1997, namely:—

In the said notification, for serial number 5 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

"5 Dr. S. K. Khurana, Consultant (Pathology), Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, NH-IV, Faridabad- Member".

[F. No. 13028/03/2015-PP-I]

ATISH CHANDRA, Jt. Secy.

**Note :** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 79(E), dated the 4th February, 1997 and last amended *vide* number S.O. 2799 (E), dated the 28th August, 2017.

India Code

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.01.25 19:26:44 +05'30'